



2026:AHC: 12567-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 195/1983

सतेन्द्र सिंह

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बलराम जी वर्मा, सत्यम सिंह, वी.सी. कटियार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : डी.जी.ए.

न्यायालय संख्या-42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विकास गोस्वामी को सुना गया।
2. हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2016 को इस वाद के अभिलेख मंगाए गए थे।
3. कार्यालय आख्या दिनांक 22.08.2025 इंगित करती है कि जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार, विचारण न्यायालय के अभिलेख गायब हैं और अब तमाम भरसक प्रयासों के बावजूद अभिलेखों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं है। हमारा यह भी विचार है कि सत्र विचारण, जो वर्ष 1980 में प्रारंभ हुआ था, का अब पुनः विचारण नहीं किया जा सकता है।
4. ऐसी परिस्थितियों में, और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अभय राज सिंह व अन्य, (2004) 4 एससीसी 6 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, अपीलार्थी-सतेन्द्र सिंह के संबंध में वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान सत्र न्यायाधीश (गैर-महानगरीय क्षेत्र), कानपुर द्वारा सत्र विचारण संख्या - 14 वर्ष 1980 में पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13.01.1983 को अपास्त किया जाता है। तदनुसार, अपीलार्थी-सतेंद्र सिंह को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

19 जनवरी, 2026

काशिफा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।